श्री भक्त दर्शन : क्या इस समिति को यह भी सुझाव दिया गया है कि जब कि इस अवसर पर बहुत से भारतीय महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित की जायेंगी वहां उन अंग्रेज महापुरुषों की मूर्तियां अलग हटाई जायें जिन्होंने उस जमाने में इतने अत्याचार किये थे ?

Shri Datar : This National Committee will take into account all the matters having a bearing on the independence movement of 1857.

श्री भक्त दर्शन : क्या यह बताने की कृपा की जायेगी कि इस समारोह को मनाने के लिये क्या अब तक कम से कम कोई मोटी रूप रेखा बना ली गई है और क्या राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कुछ तैयारियां की हैं ?

Shri Datar : Yes, Sir, A provisional programme for the consideration of the Committee has been drawn up and will be placed before them.

Shri Tek Chand : Is it the intention of Government to publish a history of those days of struggle and republish certain books which are out of stock?

Shri Datar : So far as the first part is concerned, the matter, I presume, is before the Education Ministry, namely the question of preparing a history of the freedom movement in India. As for the latter part I am not aware of it.

Mr. Speaker : Is one or the other of the Deputy Ministers of Education in a position to enlighten the House? In what stage is the preparation of such a book relating to the independence movement of 1857?

The Deputy Minister of Education (Dr. M. M. Das) : I think the book is in the press.

Mr. Speaker : Will it be published before the celebrations?

Dr. M. M. Das : Yes.

श्री भक्त दर्शन : जो नेशनल कमेटी राष्ट्रीयसमिति इस कार्य के लिये बनाई गई है, उसमें कौन कौन से महानुभाव नियुक्त किये गये हैं ?

श्री दातार : वाइस-प्रेजिडेंट आफ इंडिया इस कमेटी के चैयरमैन सभापति हैं और इसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रधान मंत्री इधर से कई और मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर (उपमंत्री) और राज्य के चीफ मिनिस्टर, (मुख्यमंत्री) पार्लियामेंट के मेम्बर (संसद सदस्य) और आफीसर्ज (अधिकारी) हैं ।

Shri Tek Chand : Any historian?

An hon. Member : The Prime Minister.

Shri Datar : I cannot say whether there are any historians. But it is well-represented committee.

उत्तुंग गवेषणा संस्था (स्टेशन)

*१३९८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्राकृतिक संसोधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १७ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तुंग गवेषणा संस्था (स्टेशन) की स्थापना करने के बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा उपमन्त्री डा० का० ला० श्रीमाली) : आवश्यक जानकारियों से युक्त एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है । (**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७७**)

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि इस सम्बन्ध में जो पहले सूचना दी गई थी, प्रगति में अब उससे भी कुछ शिथिलता आ गई ज्ञात होती है । क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें देरी का क्या खास कारण है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : देरी का कारण यह है कि गवर्नमेंट इस बात का प्रयत्न कर रही है कि जहां तक हो सके, इस मामले पर पूरी तरह से जांच की जाय । इस दृष्टि से अभी हाल ही में एक सिम्पोज़ियम गोष्ठी हुआ था—वह मई, १९५५ में हुआ था—जिसका विशेष काम था कि हाई आल्टीच्यूड रिसर्च उत्तुंग गवेषणा के बारे में पूरी तरह से साइंटिस्ट (वैज्ञानिकों) की राय ली जाय । जब वह राय आ जायगी, तो उस पर विचार किया जायेगा और उसके बाद इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस गवेषणा केन्द्र को स्थापित करने के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कोई धन राशि रखी गई है ? और क्या यह आशा की जाती है कि इन पांच वर्षों में यह केन्द्र स्थापित हो जायेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस सम्बन्ध में कोई धन राशि रखी गई है या नहीं, इस सूचना के लिये मुझे नोटिस चाहिये, लेकिन यदि इसके बारे में सिम्पोजियम की राय अनुकूल होगी, तो इस प्रश्न पर सरकार पूरी तरह से विचार करेगी और यह इरादा है कि आल्टीच्यूड रिसर्च स्टेशन कायम किया जाय ।

श्री भक्त दर्शन : पिछले चार वर्ष से लगातार इस पर विचार हो रहा है और केवल विचार हो रहा है । क्या इस बात की आशा की जा सकती है कि अगले पांच वर्षों में यह काम पूरा हो जायेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह जो विषय है, वह कोई सरल नहीं है और साइंटिफ़िक रिसर्च (वैज्ञानिक गवेषणा) को प्रारम्भ करने के बारे में काफ़ी विचार करना पड़ेगा और इस तरह के रिसर्च स्टेशन (गवेषणा केंद्र) आसानी से स्थापित नहीं किये जा सकते हैं । मैं समझता हूं कि चार वर्ष तो किसी रिसर्च स्टेशन को स्थापित करने के लिये ज्यादा नहीं हैं ।

Fire Arms

*1399. **Shri Dasaratha Deb:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of fire-arms seized and obtained from the tribal people of Tripura during the last three years;

(b) whether Government propose to return these fire-arms lying with them; and

(c) the number of fire-arms licences which were newly issued to the tribals since 1954?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): (a) 1,172.

(b) Government have already returned 82 fire-arms; the remaining fire-arms are returnable after usual police verification.

(c) 380, during the last two years.

Shri Dasaratha Deb: May I know if it is a fact that the tribals of Tripura who are inhabiting the forest areas are made helpless against the attack of wild animals like tigers and elephants because their guns were taken away by the Government, since the congress came to power?

Shri Datar: There is no question of Congress Government having taken away anything at all. Under the former State Government there was practically no check on the possession of unlicesed arms. Therefore, when the Indian Arms Act and Rules were made applicable Government had to make enquiries and find out who had these guns that is the reason why these guns were taken away and they are being returned after verification.

Shri Dasaratha Deb: May I know in how many cases people held unlicensed guns in Tripura State during this period.

Shri Datar: At the me of he integration of the State there were practically no laws at all; therefore, mostly they were unlicensed. That is the reason why the whole thing had to bel egalised.

Shri Dasaratha Deb: Is it not a fact that Government has always been giving assurances in this House that all these guns would be returned to the owners, while in practice they are doing otherwise?

Shri Datar: That is not correct. Whatever assurances have been given are being fully implemented.

Shri Tek Chand: May I know whether the 800 odd guns which are said to be returned to the owners were returned to the license holders or to just owners without licences.

Shri Datar: They were returned after enquiries had been made and licenses were issued when the enquiry was complete.

सरदार अ० सिं० सहगल : क्या सरकार के पास कोई इत्तिला है कि त्रिपुरा के अलावा और किन किन जगहों पर ट्राइबल पीपल (आदिम जातियों के व्यक्तियों) से फायर-आर्म्ज़ (अग्नेय अस्त्र) लिये गये हैं ?

श्री दातार : यह क्वेस्चन बहुत प्रश्न वाइड (विस्तृत) है ।